राजस्व लोक अदालत केम्प बडनावा तहसील पचपदरा
न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री उदय भानू चारण, आर.ए.एस

मुकदमा न0 03/2016

अपीलाण्टगण बनाम रेस्पोडेन्ट

1. हबीब पुत्र फारीदखां जाति मुसलमान सिधी निवासी खारडी ग्राम पंचायत खन्नौडा तह मल्लिनाथ तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

1. सरपंच, ग्राम पंचायत खन्नौडा पंचायत समिति पटोदी
2. कादरखां पुत्र रिमजा खां
3. वलीखां पुत्र रिमजा खां
4. फताखां पुत्र रिमजा खां
5. बचुखां पुत्र रिमजा खा
6. मुसा खांा पुत्र रिमजा खा
7. गफुर खां उस्मान खां
8. मोहम्मद खां पुत्र उस्मान खां
9. अदरीम खां पुत्र उस्मान खां
10. सरीफो पत्नि फरीद खां जातियान मुसलमान सिंधी सभी निवासी खारडी ग्राम पंचायत खन्नौडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
11. राजस्थान सरकार भूमिधारक तसहसीलदार पचपदरा।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्ध

दिनांकः—8.06.2016

आदेश

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खन्नौडा जिसमें अपीलांट का नाम गलत दर्ज किय गया,विरूद्ध।

सक्षिप्त प्रकरण मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खारडी के खसरा सं0 201 रकबा 48. 02 बीघा किस्म बा.सो. खसरा न0 364 रकबा 34,19 बीघा किस्म बा.अ, खसरा न0 447 रकबा 0,03 बीघा किस्म गैर मु, ढाणी खसरा न. 448 रकबा 16.16 बीघा किस्म बा.अ. खसरा न 451 रकबा 0.13 बीघा किस्त बा.अ. कुल खसरा 5 कुल रकबा 100 बीघा 13 विस्वा आई हुई है जिस पर अपीलांट का अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा कास्त है। अपीलान्ट के दादा उस्मान खां की फौतगी पर रेस्पोन्ट स. 1 ग्राम पंचाय खनौडा के सरपंच द्वारा नामान्तकरण स. 312 दिनांक 14.5.2010 को पारित किया गया तब अपीलांट के सही नाम की सम्पूर्ण जांच नहीं कर हबीब के स्थान पर अराब खां नाम भरा गया, जबकि अपीलांट का सही तथा वारतविक नाम हबीबी खां है जिसके जानकारी की जांच किये बगैर जो नामान्तरण सरपंच ग्राम पंचायत खनौडा द्वारा नामान्तकरण पारित किया गया। अतः अपीलान्ट के दादा की फौतगी में पारित नामान्तरकरण संख्या 312 में मेरा नाम हबीब के स्थान पर अराब खां अंकित हो गया था। जो कि गल्त है मेरा वास्तविक नाम हबीब खां पुत्र फरीद खां है। उक्त अपील पत्र के संबंध मे पटवारी/आरआई/ तहसीलदार की संयुक्त रिपोर्ट प्राप्त की गई उक्त रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट का नाम हबीब खां पुत्र फरीद खां सही नाम दर्ज करने की सिफारिश की है।

अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया तहसीलदार की रिपोर्ट संलग्न नहीं है। प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार ग्राम खारडी के पारित नामान्तरकरण संख्या 312 में अपीलान्ट का नाम हबीब के स्थान पर अराब खां अंकित हो गया था। जो की गलत है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । अपीलान्टगण को सुना गया। मजमे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तरकरण सं. 312 को निरस्त कर तहसीलदार पचपदरा को रिमाण्ड किया जाता है। व निर्देश दिये जाते है कि दोनो पक्षों को सुनकर नये सिरे से म्यूटेशन पारित करे।

आदेश न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(उदयभान चारण)
सहायक कलक्टर
बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner